Regarding ban on Maharashtra Enviro Power Company and issue arising out of it?s faulty working conditions in non-chemical zone, pollution of ground water

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरुर) : महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदया, मैं अपने चुनाव क्षेत्र शिरुर में जल और भू प्रदूषण के एक गंभीर मसले पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा । संयोगवश मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं ।

महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र में, महाराष्ट्र में रांजनगाँव एमआईडीसी में स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर कंपनी है, जो केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है । हालाँकि वास्तविकता में रांजनगाँव एमआईडीसी, यह नॉन-केमिकल जोन है, लेकिन यहाँ पर यह कंपनी स्थित है, जो केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रही है । इनकी इनएफिसिएंट वर्किंग की वजह से आसपास के चार गाँव अन्नापुर, नीमगांव भोगी, ढोक सांगवी जैसे गाँवों में तालाब और कुओं का पानी प्रदूषित हो चुका है । अगर प्राइवेट लैब में जाँच कराएँ तो इस पानी में निकिल, कैडमियम और लेड जैसे तत्व पाये जाते हैं, लेकिन यह अचरज की बात है कि जब एमपीसीबी इसका परीक्षण करता है तो उनको क्लीन चिट मिलती है । इस प्रदूषित पानी की वजह से खेत, जमीन बंजर होती जा रही है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसी कंपनीज के ऑपरेशंस पर पाबंदी लगायी जाए, उनकी वर्किंग का मुआयना किया जाए और जिन गाँवों का नुकसान हुआ है, उनके ग्राउंड वाटर रेजुवेनशन और सॉइल क्वालिटी रेस्टोरेशन के लिए कदम उठाए जाएँ । धन्यवाद ।